

22/02/21

पत्रपत्नी वेब हुई। अखिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
विपक्षीगण उपस्थित नहीं। आवाज लगाई गई। उपस्थित
नहीं हुए। अतः विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय
कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। अखिवक्ता प्रार्थीगण
की बहस प्रकट लुनी प्रती।

हमने पत्रपत्नी का अखिवक्ता का अखिवक्ता
प्रार्थीगण की बहस पर मगन किया। प्रस्तुत
मकल जमाखंडी ग्राम बन्दरवा प. ह. आंवलहेडी 2069-2072

अनुसार आराजी संख्या 532 रकम 0.01, 539
रकम 0.19, 543 रकम 0.32, 550 रकम 0.30, 556
रकम 0.58, 557 रकम 0.11, 558 रकम 0.08,
559 रकम 0.36, 566 रकम 0.13 कीता 9 रकम
2.08 हे भूमि प्रार्थीगण के खोलेपारी हक से दूरी
रेकार्ड है जिसकी प्रार्थीगण पत्न्यरगदी काना चाहते

हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अखिवक्ता द्वारा
128 CR Act स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की
ग्राम बन्दरवा प. ह. आंवलहेडी जित खोलेपारी

की आराजी नम्बर $\frac{532}{0.01}$ $\frac{539}{0.19}$, $\frac{543}{0.32}$, $\frac{550}{0.30}$, $\frac{556}{0.58}$
 $\frac{557}{0.11}$, $\frac{558}{0.08}$, $\frac{559}{0.36}$, $\frac{566}{0.13}$ कीता 9 रकम 2.08 हे भूमि

की बिना किली के काले में दखलाने की लिए सेलमेन्ट
नम्बरो अनुसार पत्न्यरगदी किए जाने के आदेश दिए
जाते हैं। पत्न्यरगदी शुल्क 1000.00 रु. और इशो एक हजार रु.

प्रार्थीगण वहन करेंगे। पालना की तहकीलका चिन्मा जाह
को लिखा जाये कि पत्रकाराको लिखित सूचना देकर
निधमागुदार् पत्न्यरगदी की जाये एवं पालना रिपोर्ट

न्यायालय में प्रस्तुत करें। नितीय लिखाया जाकर
सरे इजलास बुनाया गया। पत्रपत्नी केवल शुमार
होकर नम्बर से कम हो।

(श्याम सुन्दर विशनोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

